राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/296

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	220/24 220/24	26/6/24	[illegible] 6/8/24	10/7/24 2/8/24 5/8/24

अनवान

श्री हीरा पिता रूपा मीणा .... श्री केलछा पिता रूपा मीणा ....

निवासी कारूण्या .... निवासी कारूण्या ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री सुनिल कुमार जोशी .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

हीरा .... बनाम .... कैलाश।

किस्म मुकदमा धारा 111-128 .... नम्बर 220 .... सन **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/06/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी / विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10 / 07 / 2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
10/7/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/8/24 को वास्ते उ-आ पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2/8/24	...त्राव... पेश हुइ ...भाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/8/24 को वास्ते उ-आ पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/8/24	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित कर तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 220/24

तारीख दायर 26/06/24

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थी

1. कैलाश पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. कमलेश पिता गोपाल जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. घीसु पिता बालु जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज
4. गोरू पिता बालु जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज

...............विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

:–आदेश:–

दिनांक :– 06/08/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री हीरा मीणा ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 216 पर स्थित आराजी संख्या 640/71 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 643/72 रकबा 0.1862 हैक्टेयर आराजी संख्या 70 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भुमि कुल किता 3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि,स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2073–2076** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 216 पर स्थित आराजी संख्या 640/71 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 643/72 रकबा 0.1862 हैक्टेयर आराजी संख्या 70 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भुमि कुल किता 3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 220/24

तारीख दायर 06/08/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियॉ

विषय :– प्रकरण संख्या ....220/24.......... प्रत्थरगढी बाबत्।

हीरा पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

........प्रार्थी

1. कैलाश पिता रूपा जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. कमलेश पिता गोपाल जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. घीसु पिता बालु जी जाति मीणा उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज
4. गोरू पिता बालु जाति धाकड उम्र व्यस्क निवासी कांस्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्र्तत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम कांस्या पटवार हल्का कांस्या कलां भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांस्यां तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 216 पर स्थित आराजी संख्या 640/71 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, आराजी संख्या 643/72 रकबा 0.1862 हैक्टेयर आराजी संख्या 70 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भुमि कुल किता 3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भुमि, की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक ...कांस्या... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ...नियमानुसार... तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पडोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ